न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक –रीडर/ 2022/468 दिनांक :– 14.6.2022

मुकदमा नंबर 69/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. छगनाराम पुत्र मिसराराम जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		1. रणछोड़राम पुत्र चेलाराम 2. महेश कुमार पुत्र मन्छाराम 3. बाबुलाल गोदपुत्र हरीरामजी सभी जातियान माली निवासी हनुमानजी मंदिर के पास गांधीपुरा बालोतरा 4. नगरपरिषद बालोतरा जरीये आयुक्त / सभापति नगर परिषद बालोतरा 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

आदेश **दिनाक :– 6.6.2022**

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा बालोतरा पटवारी क्षेत्र बालोतरा प्रथम भू–निरीक्षक बालोतरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 470 रकबा 3–03 बीघा, खसरा संख्या 471 रकबा 3–14 बीघा, खसरा संख्या 472 रकबा 7–08 बीघा भूमि में प्रार्थी का कब्जा कास्त है।

विद्ववान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी । विप्रार्थी संख्या –1 के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या –1 के वकील ने जबाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर जाहिर किया की प्रार्थी द्वारा अपनी स्वंय की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी जरीये पैमाईष बिना मौके की वस्तुस्थिति में परिवर्तन किये करवाई की जाती है, तो मुझे कोई उज्र एतराज नहीं है। विप्रार्थी संख्या –3 के वकील ने भी विवादित भूमि की नेखमबंदी पूर्ण होने तक मौके की वस्तु स्थिति में किसी प्रकार परिवर्तन नही किये जाने बाबात सहमति व्यक्त की है ।

काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र में विप्रार्थी संख्या –1 ने निवेदन किया की विप्रार्थी के ग्राम बिठुजा के खसरा संख्या 01 रकबा 2–02 बीघा व खसरा संख्या 428/1 रकबा 1–05 बीघा आया हुआ है, उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी के सेढ़े कोनो को लेकर विवाद किया जाता है, इस हेतु प्रार्थी की भूमि के साथ मुझ विप्रार्थी के खातेदारी के उक्त खसरा की भी पत्थरगढ़ी जरीये पैमाईश की जाना न्यायहित की जावें। विप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा में विवादित भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है, इस हेतु सीमाज्ञान करवाने के बाद चारो तरफ के समस्त खातेदारों को पक्षकार बनातें हुए विधिवत नया आवेदन पत्र पेश कर सकता है, क्योंकि विप्रार्थी संख्या 1 के खेत के सेढा पड़ोस अलग–अलग खातेदार होते है। अपरोक्त आाधार पर विप्रार्थी संख्या –1 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा अस्वीकार किया जाता है।

विप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता के द्वारा मौके पर नेखमबंदी करने के पश्चात कनफर्म नहीं हों तब तक यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी खेत की विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें **मौके पर नेखमबंदी इस न्यायालय से कनफर्म नहीं हो तब तक मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे।** कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:09:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/469 दिनांक :– 14-6-22

तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
(SDO) बालोतरा